राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–660/2010)

मनोहर सिंह **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक, जयपुर जोन, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 17.05.2010 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2007–08 में पदोन्नति दी गई थी। पदोन्नति को निर्देशित करते हुए पदान्वित करने के आदेश पारित किया गया है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 17.05.2010 के द्वारा अपीलार्थी व 39 व्यक्तियों को पदान्वित किया गया था, जिनमें से दो व्यक्ति संजय सोनी एवं विजय कुमार सिंघल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 8117/2010 एवं 4497/2010 में प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को दिनांक 05.12.2012 को निर्णित किया था। जिसमें निम्न प्रकार से निर्देश दिये गए थे :–

> In any case, I am of the opinion that respondents should now hold DPC for the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 which are due consider candidature of the petitioners as per their seniority. The exercise aforesaid may be undertaken by them within six months from the date of receipt of copy of this order. Till DPC is convened, respondents will not revert the petitioners from the post they are holding. This is to the fact that they may get promotion to the aforesaid post for subsequent years namely 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 thus it will only affect their seniority position on the post of UDC. However, if they are not recommended for promotion even for subsequent years then may be reverted but till this exercise is undertaken, petitioners may be continued on the post of UDC.
>
> With the aforesaid directions, both the writ petitions are disposed of without interfering in the order of seniority. however, the order of reversion is set aside but it will remain subject to final outcome of the exercise as directed above.
>
> Petitioners have received pay scale of the post of UDC which may not be withdrawn till the exercise is undertaken by the DPC, however, their fixation on the

aforesaid post would be made subject to the year of promotion given to them. The respondents are accordingly directed not to withdraw actual benefit of pay scale for the previous year but would be at liberty to re-fix their pay scale on the post of UDC from the year they are now given promotion. In case of reversion, benefit of pay scale may be withdrawn without recovery.

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मामला भी उक्त संजय सोनी व विजय कुमार सिंघल के मामले के समान ही है, क्योंकि अपीलार्थी को उसी आदेश के द्वारा पदान्वित किया गया था। अपीलार्थी के समान ही अन्य व्यक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिनांक 05.12.2012 के द्वारा निर्देशित किया है।

4. उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का मामला समान होने से यह अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देश को अपीलार्थी के मामले के समान ही मानते हुए उक्त दिशा–निर्देशों को अपीलार्थी के मामले में लागू करे और उसके अनुसार अपीलार्थी को समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)